

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुझुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 109/2022

GCMS नम्बर :- 2022/.

निर्णय दिनांक:- 23-05-2022

नरेन्द्र पुत्र छत्रपालसिंह जाति राजपुत निवासी पचेरी कलां

बनाम

तहसीलदार बुहाना

दावा बाबत - नक्शा दुरुस्ती एवं घोषणात्मक

वादी की स्वयं की उपस्थिति में व प्रतिवादी तहसीलदार बुहाना की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-05-2022 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“ वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज0) स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 557 रकबा 0.45 है. व खसरा नम्बर 2980/557 रकबा 0.45 है. भूमि का मुताबिक लट्टाशीट (प्रदर्श-अ) के अनुसार DILRMP शीट में तरमिम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23-05-2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 फोलोअप कैम्प पचेरी कलां के मजमे आम में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
ए.ए.एस. सहायक उपखण्ड अधिकारी बुहाना
बुहाना जिला-झुझुनू (राज.)

